उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1
संख्या- 04/2017/353/62-1-2017-01जीडब्लू/2014
लखनऊ दिनांक 03 मई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (अभियन्ता और वैज्ञानिक सेवा नियमावली,1999 (द्वितीय संशोधन) नियमावली,2016 के सुसंगत प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से कराये गये चयन में चयन समिति की प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर श्री वी0के0उपाध्याय, सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, जियोफिजिकल सर्वे खण्ड-आगरा को संयुक्त निदेशक (भू-विज्ञान/भू-भौतिकी) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-3900, ग्रेड वेतन रू0 7600/-(पुराना) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति करते हुए भूगर्भ जल विभाग मण्डल-द्वितीय, इलाहाबाद के रिक्त पद पर तैनात किये जाने एवं कार्यहित में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के रिक्त पद का अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ रूप से अग्रिम व्यवस्था होने तक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- इस हेतु श्री उपाध्याय को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ आदि न तो अनुमन्य होगा और न ही इस प्रकार का कोई दावा प्रोदभूत होगा ।

नियुयक्ति प्राधिकारी की ओर से,
मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 04/2017/353(1)/62-1-2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रोन्नत अधिकारी की योगदान आख्या प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को राजकीय गजट के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु ।

(4) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0, लखनऊ ।

(5) भूगर्भ जल विभाग के समस्त मण्डलीय/खण्डीय अधिकारी ।

(6) संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग मण्डल-द्वितीय, इलाहाबाद।

(7) सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग जियोफिजिकल सर्वे खण्ड'आगरा।

(8) सम्बन्धित अधिकारी ।

(8) कोषाधिकारी,आगरा/इलाहाबाद/लखनऊ ।

(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।